



डाक पंजीयन क्र. 173/15-17

5 | रोहित-विश्वास बीसीसीआई कॉटेंट लिस्ट में ए-प्लस ग्रेड...

सम्पादकीय | हादसों से नहीं ली जा रही सीख

मध्यप्रदेश ■ राजस्थान ■ हरियाणा ■ उत्तीर्णगढ़ ■ महाराष्ट्र से प्रकाशित

वर्ष 12 अंक 34 E-mail: dholpur@hotmail.com

जयपुर, बुधवार 02 अप्रैल 2025

इंप्रेस के लिए लॉगऑन करें -www.hindustanexpress.online

मूल्य 2.00 रुपया, पृष्ठ 8

## पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एमपी के 18 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर घायल

दो दिन पहले ही  
मजदूरी करने पहुंचे थे

आर.एन.एस

नई दिल्ली। जुरुत के बनासकोंठ के नजदीक डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। वहाँ, 5 मजदूर मृत्युली रूप से घायल हैं।

फैक्ट्री डीसा तहसील के धुनवा रोड पर है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। विस्टोट के दौरान मजदूरों के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अग्र मिले हैं। फायर फ्रोड को आग पर काढ़ा पाने में 5 से 6 घंटे लगे।

2 दिन पहले ही मजदूरी के लिए आए थे हादसे के शिकार सभी मृतक



और घायल मजदूर मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हैंडिया गांव के रहने वाले हैं। फैक्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक

काम कर रहे थे। फिलहाल, मृतकों की गया है। फिलहाल 3 लोगों का इलाज चल रहा है। ये 40 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर प्रशासन की ओर से जांच जारी है। पटाखे बेचने का लाइसेंस था,

काम कर रहे थे। फिलहाल, मृतकों की गया है। फिलहाल 3 लोगों का इलाज चल रहा है। ये 40 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के अंदर काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्लास्ट हुआ। हमें पता ही नहीं चला कि अविदेय ब्लास्ट हुआ था, बहुत तेज धमाका हुआ और हम बेहोश हो गए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे चारों ओर आग थी। हम झुलसी हालत में ही किसी तरह फैक्ट्री से बाहर भागे।



### येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद

कोर्ट में गिडिंगाकर बोला-बच्चे छोटे, पनी बीमार कोर्ट ने दलीलें तुकराई

आर.एन.एस

नई दिल्ली। येशु-येशु वाले बाबा के नाम से पहचान जाने वाले पादी बजिंदर सिंह को मोहली कोर्ट ने मंगलवार को 7 साल पुरुष रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा से बचने के लिए दावी बजिंदर कोर्ट में गिडिंगाकर बोला-बच्चे छोटे हैं। पत्नी बीमार है। मैं शोशल आदमी हूँ। मेरी टांग में रोंड डली हुई है, मुझ पर रहम किया जाए। मार कर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। बजिंदर

कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे परिवाला जेल भेज दिया गया था। बजिंदर पर आरोप किया कि विदेश में बसाने का लालन व देकर महिला को अपने घर ले गया। बहुत उसका ऐक बीड़ी बनाया। उसे धमकी भी दी थी कि अगर विरोध किया तो बीड़ियों को सोशल मीडिया पर डाल देओ। पीड़ित के बीड़ील ने बाला किया कि बजिंदर अतिम सांस जेल में रहेगा। पीड़ित ने कहा- ये केस के लिए दावी हुआ था, लेकिन वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी। सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्तीर्ण और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।

जपान के कोर्ट ने 10 हजार से ज्यादा हो रही थी बेहोश, 2 की हालत गंभीर, इलाज को खाली करवाया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई

कहा- यह अमानवीय  
10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश

आर.एन.एस

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट बोला-प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन ने इक्कीजोर दिया, 2021 में घर गिराने पर कहा- यह अमानवीय, 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई।



मकान गिरा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बीकैल जुल्फिकार हैटर, प्रोफेसर अबी अहमद और अन्य लोगों ने अधिकारी द्वारा दिया गया था। इलाहाबाद तुकराई को इनकी शाचिकाएं तुकरा दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की आदेश दिया कि जिनके मकान गिराए गए हैं, उन्हें 6 महीनों के भीतर काम कर लाना होगा। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राहट टु शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। उन्हें 24 मार्च की घटना का जिनके भीतर काम कर लाना होगा। अतिक्रमण विरोधी अधियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर धूमर लगाया गया। इसे दलील द्वारा याचिकाएं को आदेश दिया था। इसे बहस से जिसकी आदेश दिया गया है। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

उन्हें (राज्य को) अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। इस दलील पर यूनिस सकार ने कहा था कि हमने याचिकाएं को आदेश दिया।

इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े हैं और नाइट्रोजेन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ, अतीक अमानवीय नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

उन्हें (राज्य को) अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। इस दलील पर यूनिस सकार ने कहा था कि हमने याचिकाएं को आदेश दिया।

इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े हैं और नाइट्रोजेन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ, अतीक अमानवीय नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

उन्हें (राज्य को) अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। इस दलील पर यूनिस सकार ने कहा था कि हमने याचिकाएं को आदेश दिया।

इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े हैं और नाइट्रोजेन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ, अतीक अमानवीय नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

उन्हें (राज्य को) अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। इस दलील पर यूनिस सकार ने कहा था कि हमने याचिकाएं को आदेश दिया।

इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े हैं और नाइट्रोजेन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ, अतीक अमानवीय नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

उन्हें (राज्य को) अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। इस दलील पर यूनिस सकार ने कहा था कि हमने याचिकाएं को आदेश दिया।

इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े हैं और नाइट्रोजेन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ, अतीक अमानवीय नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों को जीमीन कोर्ट की आदेश दिया।

उन्हें (राज्य को) अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। इस दलील पर यूनिस सकार ने कहा था कि हमने याचिकाएं को आदेश दिया।

इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया। इस दलील के बाद लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कंपनी के गोदाम में खड़े हैं और नाइट्रोजेन गैस का रिसाव हुआ।













